"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2009—पौष 26, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. वीनू सरदाना आत्मजा श्री राजकुमार सरदाना, निवासी शिक्षक कालोनी, न्यू खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती भावना अरोरा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती भावना अरोरा पति श्री मनोज कुमार अरोरा के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

कु. वीनू सरदाना
आत्मजा श्री राजकुमार सरदाना
निवासी-शिक्षक कालोनी, न्यू खुर्सीपार, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती भावना अरोरा
पति श्री मनोज कुमार अरोरा
निवासी-शिक्षक कालोनी, शनि मंदिर के पास
न्यू खुर्सीपार, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं मनहरण लाल पटेल आत्मज श्री एस. आर. पटेल, उम्र 34 वर्ष, निवासी क्वार्टर नं. 4-एच, स्ट्रीट-14, सेक्टर 6, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्र ईशा कुमार पटेल जिनकी जन्मतिथि 3-5-1999 है का नाम को परिवर्तित कर ईशांत पटेल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को ईशांत पटेल आत्मज श्री मनहरण लाल पटेल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
ईशा कुमार पटेल	ईशांत पटेल
आत्मज श्री मनहरण लाल पटेल	आत्मज श्री मनहरण लाल पटेल
निवासी-क्वार्टर नं. 4-एच, स्ट्रीट-14	निवासी-क्वार्टर नं. 4-एच, स्ट्रीट-14
सेक्टर 6, भिलाईनगर	सेक्टर 6, भिलाईनगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, कुरूद, जिला -धमतरी

कुरूद, दिनांक 28 नवम्बर 2008

राजस्व प्रकरण क्रमांक ब/113 सन् 2008-09.—सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक एम. एल. वर्मा आत्मज हिरामन वर्मा मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट सिलीडीह निवासी सिलीडीह एवं अन्य ट्रस्टीगण के द्वारा गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट सिलीडीह, तहसील कुरूद का छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्वसाधारण हितार्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन की सुनवाई 12-01-2009 को न्यायालय अवधि में रखी जावेगी. संबंधित पक्षकार जो उक्त ट्रस्ट का हितार्थी हो और उसे ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की अच्छा हो या सुझाव देना हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और पेशी दिनांक को स्वत: या अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होवें, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आवेदन/आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट, सिलीडीह
2.	चल संपत्ति	:	देना बैंक शाखा सेमरा तहसील कुरूद में बचत खाता क्रमांक/एसबी/जीईएन/4014 संयुक्त खातेदार मनराखनलाल वर्मा एवं सियाराम साहू के नाम पर है जिसमें दिनांक 1-12-2008 तक राशि- 67770.00. अक्षरी सड़सठ हजार सात सौ सत्तर रुपए मात्र जमा है.

3. अचल संपत्ति : ग्राम सिलीडीह, प. ह. नं. 01 की अचल संपत्ति

जिला	तहसील	नगर/ग्राम, ह. नं.	खसरा नंबर	रकबा
धमतरी	कुरूद	सिलीडीह/ह. नं.-01	414/2	1.68
			416	0.32
		योग :-	**02**	**2.00**

आज दिनांक 28-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा के अधीन जारी किया गया.

अरविन्द शर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 23 दिसम्बर 2008

प्रारूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 का नियम(5) देखिए]

पंजीयक लोक न्यास दुर्ग के समक्ष

क्रमांक 1592/प्र-3/लोक न्यास/अविअ/2008.— चूंकि महाकाल मानव सेवा क्वाटर नंबर 5/बी/सड़क 20 सेक्टर-2 भिलाईनगर को छ. ग. न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 23-01-2009 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है. अत: मैं सी. एल. यादव तहसील व जिला दुर्ग का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23-01-2009 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन मेरे समक्ष प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम और पता : महाकाल मानव सेवा ट्रस्ट

2. चल संपत्ति : निरंक

3. अचल संपत्ति : निरंक

सी. एल. यादव,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

वन मण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ वन मण्डल, जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

धरमजयगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2008

क्रमांक /मा. चि. /4180.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शाया गया धरमजयगढ़ बीट का बीट हेमर 199 RG श्री मोहनलाल साहू तत्कालीन परिसर रक्षक द्वारा दिनांक 28-9-05 को कक्ष क्रमांक 303 एवं 304 में सागौन रोपण के समय गुमा दिया जो आज तक नहीं मिला है. इसकी सूचना पुलिस थाना धरमजयगढ़ में दिनांक 29-9-05 को दी गई है.

वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त गुमशुदा बीट हैमर 199 RG का वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है. उपरोक्त हैमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो वे कृपया निकटतम थाने में अथवा वनमण्डल कार्यालय में जमा करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुमशुदा हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने अथवा उपयोग में लाते पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

उक्त गुमशुदा बीट हेमर की कीमत रु. 125.00 (रु. एक सौ पच्चीस मात्र) श्री मोहन लाल साहू तत्कालीन परिसर रक्षक से वसूल करने के आदेश जारी किये जाते हैं. साथ ही हैमर जैसी महत्वपूर्ण वस्तु सुरक्षित न रखते हुए शासकीय कार्य में असावधानी बरतने के कारण श्री मोहनलाल साहू को चेतावनी दी जाती है.

सी. एस. तिवारी,
वनमण्डलाधिकारी.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा (छ. ग.)

कोरबा, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/777.—विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चैतमा, वि. खं.-पाली, पंजी. क्र. 1030 दिनांक 15-3-64 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/1750 दिनांक 24-6-95 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. पाली को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्या. चैतमा की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए विविध उद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चैतमा, विकासखंड पाली, पंजीयन क्रमांक 1030 दिनांक 15-3-64 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

कोरबा, दिनांक 16 दिसम्बर 2008

क्रमांक/उपंको/परि./08/778.—बालाजी प्राथमिक सहकारी उप. भण्डार मर्या., बल्गीखार, वि. खं.-कटघोरा, पंजी. क्र. 3702 दिनांक 30-3-92 को सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंको/परि./2008/262 दिनांक 2-5-08 द्वारा परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. ख. कटघोरा को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा बालाजी प्राथ. सहकारी समिति मर्या. बल्गीखार की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त समिति का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. अत: मैं, दिलीप जायसवाल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कोरबा, जिला-कोरबा छ. ग. सहपठित छ. ग. शासन सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1)(2) एवं म. प्र. सहपठित छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5/1/99/15 भोपाल दिनांक 27-7-1999 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुए बालाजी प्राथ. सहकारी उप. भण्डार मर्यादित, बल्गीखार, विकासखंड कटघोरा, पंजीयन क्रमांक 3702 दिनांक 30-3-92 का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 16-12-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.